संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष, ब्लॉक एक, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर, छ.ग.

क्रमांक एफ : 01–68/2020/विज्ञप्त/2756 रायपुर, दिनांकः 19/12/2020

"संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ अंतर्गत 300 नियमित चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की नियमित नियुक्ति हेतु दस्तावेज सत्यापन की सूचना"

––000––

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का पत्र क्रमांक एफ 1–60/2020/17–एक नया रायपुर, दिनांक 27.07.2020 द्वारा चिकित्सा अधिकारियों (राजपत्रित द्वितीय श्रेणी) के 300 पदों पर सीधी भर्ती से भरने की अनुमति प्रदान की गई है। जिसके तारतम्य में इस संचालनालय के पत्र क्रमांक एफ 01–68/2020/विज्ञप्त/2355, रायपुर, दिनांक 14.10.2020 द्वारा चिकित्सा अधिकारियों के 300 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर दिनांक 31.10.2020 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया था।

ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों पर इस संचालनालय के समसंख्यक सूचना पत्र क्रमांक 2581, दिनांक 28.11.2020 द्वारा दिनांक 31.11.2020 से 10.12.2020 तक दावा–आपत्ति आमंत्रित किया गया था। प्राप्त दावा–आपत्ति के अभ्यावेदनों की परीक्षण चयन समिति द्वारा किया गया है।

दावा आपत्ति के परीक्षण उपरांत दावा–आपत्ति की निराकरण की सूचीएवं वर्गवार (अनारक्षित/अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.वर्ग) पृथक–पृथक मेरिट सूची स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.inपर प्रकाशित की गई है।

मेरिट सूची के आधार पर अभ्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन दिनांक 04.01.2021 (सोमवार), 05.01.2021 (मंगलवार) एवं 06.01.2021 (बुधवार) को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़, ब्लाक–1, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर में आयोजित की जानी है, जिसमें उपस्थित होने वाली अभ्यार्थियों की विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है :–

क्रमांक	दिनांक एवं दिवस	समय	वर्ग	वर्ग में मेरिट क्रमांक
1	2	3	4	5
1	04.01.2021 (सोमवार)	पूर्वान्ह 11:00 से 12:00	अनारक्षित	01 से 40
2		अपरान्ह 12:00 से 01:00	अनारक्षित	41 से 80
3		अपरान्ह 01:00 से 02:00	अनारक्षित	81 से 120
4		अपरान्ह 02:00 से 02:30	**भोजन अवकाश**	
5		अपरान्ह 02:31 से 03:30	अनारक्षित	121 से 160
6		अपरान्ह 03:30 से 04:30	अनारक्षित	161 से 200
7		अपरान्ह 04:30 से 05:00	अनारक्षित	201 से 240

8	05.01.2021 (मंगलवार)	पूर्वान्ह 11:00 से 12:00	अनारक्षित	241 से 280
9		अपरान्ह 12:00 से 01:00	अनारक्षित	281 से 320
10		अपरान्ह 01:00 से 02:00	अनारक्षित	321 से 360
11		अपरान्ह 02:00 से 02:30	**भोजन अवकाश**	
12		अपरान्ह 02:31 से 03:30	अनुसूचित जाति	21 से 60
13		अपरान्ह 03:30 से 04:30	अनुसूचित जाति	61 से 115
14	06.01.2021 (बुधवार)	पूर्वान्ह 11:00 से 12:00	अनुसूचित जनजाति	25 से 60
15		अपरान्ह 12:00 से 01:00	अनुसूचित जनजाति	61 से 90
16		अपरान्ह 01:00 से 02:00	अनुसूचित जनजाति	90 से 116
17		अपरान्ह 02:00 से 02:30	**भोजन अवकाश**	
18		अपरान्ह 02:31 से 03:30	अन्य पिछड़ा वर्ग	94 से 120
19		अपरान्ह 03:30 से 04:30	दिव्यांग वर्ग	2 से 10

नोटः– **अभ्यार्थी उपरोक्त सारणी के कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित वर्ग के मेरिट सूची का अवलोकन कर कॉलम क्रमांक 5 में दर्शित क्रमांक अनुसार उपस्थिति देवें।**

1. कोविड–19 संक्रमण को देखते हुए अनावश्यक भीड़ न हो इस उद्देश्य से समय–सीमा निर्धारित की गई है। **अतः समस्त अभ्यार्थी निर्धारित समय–सीमा का पालन करें एवं शासन नियमानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।**

2. अभ्यार्थी को अपने साथ विज्ञापन में दर्शित दस्तावेजों (ऑनलाईन आवेदन की प्रति, 10 वी, 12वी, समस्त वर्ष के एम.बी.बी.एस., पी.जी. का अंकसूची, छ.ग. मेडिकल कौसिल/अन्य मेडिकल कौसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव/अनापत्ति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र) की **मूल प्रति एवं दो स्व प्रमाणित छायाप्रति** लाना अनिवार्य है।

1. अभ्यार्थी उपरोक्त दस्तावेज निम्न क्रम में व्यवस्थित कर प्रस्तुत करेः–

   1. ऑनलाईन आवेदन की प्रति, 2. हाई स्कूल प्रमाण पत्र, 3. हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र, 4. एम.बी.बी.एस. (प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष) 5. पी.जी. का अंकसूची, 6. छ.ग. मेडिकल कौसिल/अन्य मेडिकल कौसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र, 7. मूल निवास प्रमाण पत्र, 8. जाति प्रमाण पत्र, 9. अनापत्ति प्रमाण पत्र, 10. अनुभव प्रमाण पत्र, 11. दिव्यांग प्रमाण पत्र, 11. अन्य दस्तावेज

2. अभ्यार्थी अपने साथ पहचान पत्र (पेन कार्ड/आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/मतदाता परिचय पत्र) अनिवार्य रूप से लावें।

3. **कोविड–19 संक्रमण के चलते यदि कोई अपरिहार्य स्थिति निर्मित होती है जिससे अभ्यार्थी का दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होना संभव नहीं हो पा रहा हो तो अभ्यार्थी किसी अन्य व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत कर सकता है।** अभ्यार्थी द्वारा अपने प्रतिनिधि को दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिये लिखित रूप अधिकृत करेगा एवं अधिकार पत्र में प्रतिनिधि के हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाना एवं अनुपस्थित होने का कारण दर्शाया जाना अनिवार्य होगा। उक्त अधिकृत व्यक्ति को दस्तावेज सत्यापन के समय अधिकार पत्र एवं अपना तथा अभ्यार्थी का परिचय पत्र की मूल प्रति एवं अभ्यार्थी द्वारा सत्यापित छायाप्रति, अधिकार पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अभ्यार्थी द्वारा जारी

लिखित अधिकार पर नहीं होने की स्थिति में किसी भी प्रतिनिधि को दस्तावेज सत्यापन हेतु मान्य नहीं किया जावेगा।

4. अभ्यार्थी को उक्त दस्तावेज परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का टीए/डीए इस संचालनालय द्वारा देय नहीं होगा।

5. **यदि किसी अभ्यार्थी द्वारा निर्धारित समय—सीमा में उपरोक्तानुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उन्हें उक्त दस्तोवज प्रस्तुत करने हेतु पृथक से अतिरिक्त समय नहीं दिया जावेगा।**

6. **अनुबंधित (पी.जी./एम.बी.बी.एस.) अभ्यार्थी दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में नोटराईर्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।**

7. यदि उल्लेखित अभ्यार्थी उक्त दिवस, दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होते हैं तो 300 चिकित्सा अधिकारी हेतु जारी इस संचालनालय के विज्ञापन क्रमांक 2355, दिनांक 14. 10.2020 में नियमित नियुक्ति हेतु उनकी उम्मीद्वारी निरस्त मानी जावेगी।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

←—— मास्क पहनें, 2-गज की दूरी अपनाएं, साबुन से हाथ धोएं ——→